न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 67/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/201

प्रार्थी:–

1. जगतसिंह पुत्र स्व. सुरसिंह जाति राजपुत नविासी मकान नम्बर 3 व 4 समर्थ नगर पुराना हाउसिंग बोर्ड के पास पाली तहसील व जिला पाली
2. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सुरसिंह जाति राजपुत निवासी 501 गुरू विहार को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी डी.एन महातरे रोड एक्सर बोरीवली वेस्ट मुम्बई 91

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शैतानसिंह पुत्र स्व. सुरसिंह जाति राजपूत निवासी इटन्दरा मेडतियान तहसील रानी जिला पाली
2. ग्राम पंचायत इटन्दरा मेडतियान जरिये श्रीमान सरपंच महोदय

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 10/03/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत इटन्दरा मेडतियान द्वारा मिसल संख्या 10/2021–22, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 01.12.2021 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें सभी का जन्म से ही 1/3 हक अधिकार व हिस्सा है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को अकेले अपने नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि में हितबद्ध व्यक्ति है इसलिये प्रभावित पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी पट्टे हेतु दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जैर आराजी को अपनी पुश्तैनी और कब्जाशुदा प्लॉट होना बताया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत सहमति पत्र. में भी स्पष्ट अंकन है कि यह एक पुश्तैनी प्लॉट है। इसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 ने पुनज दिनांक 11.02.2021 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवासीय मकान का पट्टा बनाने का कथन किया तथा उक्त मकान को पशुतैनी एवं जरिये दान विलेख

अति. जिला कलेक्टर पाली

दिनांक 05.11.2020 को प्राप्त होना बताया। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों अनुसार पुश्तैनी सम्पति को अकेला किसी एक को दान नहीं कर सकता है तथा बक्शीशनामा रजिस्टर्ड भी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में भी एक और प्रार्थना पत्र वास्ते हासिल करने भूमि विक्रय विलेख, जो कि तीसरा प्रार्थना पत्र है एवं इस प्रार्थना पत्र में वर्णित पड़ौस, अन्य प्रार्थना पत्रों व बक्शीशनामा दिनांक 05.11.2020 में वर्णित पडौस से भिन्न है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पंचायतीराज नियमों के अनुरूप नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को दी गयी रेकर्ड की प्रमाणित प्रति एवं मूल रेकर्ड के तथ्यों में अन्तर है, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने नियमों से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) CCC 183 (SC) Mathai Samuel vs Eapen Eapen पेश कर जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत जारी किया गया। कैम्प के दौरान नियमों में शिथिलता दिये जाने पर अप्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया, जिसकी नियमानुसार मिसल कायम की गयी एवं सम्पूर्ण कारवाई के पश्चात् जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी पूर्व में काम काज की वजह से बाहर निवास था तथा वर्तमान में हाल ही में गांव आया है इसलिये उक्त पुश्तैनी मकान पर पिछले 1 वर्ष से अप्रार्थी ही काबिज है। बयानफार्म पर दो बयानकर्ता के हस्ताक्षर है तथा मानवीय भूल से गवांह के नाम नहीं लिखे है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण को दी गयी प्रतिलिपी में भी दोनों गवाहों के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 06.07.2020 को स्टाम्प पर आवेदन पेश किया गया जिसके समर्थन में अप्रार्थी के पिता द्वारा सहमति दी गयी थी। जैर निगरानी भूखण्ड पुश्तैनी अवश्य है परन्तु दिनांक 07.07.2019 को मौखिक बंटवाड़ा किये जाने के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.11.2020 को बख्शीशनामा निष्पादित किया। उक्त बख्शीशनामा 500 रूपये के स्टाम्प पर है जिस पर गवाहों के भी हस्ताक्षर है जिसका पंजीयन होना भी आवश्यक नहीं है। प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी पूर्व से होने के उपरान्त भी लगभग 18 माह देरीना निगरानी याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें देरीना के स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किये है। पिताजी के देहान्त के बाद अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायतीराज नियमों की पूर्णतया पालना की है इसलिये जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत इटन्दरा मेडतियान द्वारा मिसल संख्या 10/2021–22, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 01.12.2021 के विरूद्ध पेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने जैर निगरानी लगभग 18 माह बाद प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj 911 के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, धारा 27–क सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961, नियम 272– अधिनियम या नियम के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनुपस्थिति – नियम 272 के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग– अभिनिर्धारित – न्यायोचित अवधि के भीतर प्रयोग करना चाहिए – न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी – न्यायालय केवल विधि की व्याख्या करते है न कि विधि का निर्माण करते है, जो कि अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का समर्थन नहीं करती है इसलिये जैर निगरानी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। साथ ही राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 के नियम 97 के तहत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने दौराने बहस यह स्वीकार किया कि प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी है एवं इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड पुश्तैनी अवश्य है परन्तु दिनांक 07.07.2019 को मौखिक बंटवाड़ा किये जाने के बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता द्वारा उनके जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.11.2020 को बख्शीशनामा निष्पादित किया। उक्त बख्शीशनामा 500 रूपये के स्टाम्प पर है जिस पर गवाहों के भी हस्ताक्षर है जिसका पंजीयन होना भी आवश्यक नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया कि उक्त बख्शीशनामा दिनांक 05.11.2020 पंजीबद्ध नहीं है इसलिये यह बख्शीशनामा प्रश्नगत आराजी को प्रभावित नहीं करता है। इस समबन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) CCC 183 (SC) Mathai Samuel vs Eapen Eapen के अनुसार Succession Act, 1925, S.2(h), Transfer of Property Act, 1882, S.122, Registration Act, 1908,S.17- Will and gift - Composite document - Registration - In a composite document, which has the characteristics of a Will as well as a gift, it may be necessary to have the document registered otherwise that part of document which has effect of gift cannot be given effect to. जो कि अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनों का समर्थन करते है।

जैर निगरानी समस्त याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किये गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु तीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रथम आवेदन दिनांक 06.07.2020 को 50 रूपये के स्टाम्प पर सहमति पत्र के साथ पेश किया गया, जिसमें एक पुश्तैनी एवं कब्जासुदा प्लॉट अंकित है, द्वितीय आवेदन दिनांक 11.02.2021 को आवासीय मकान का पट्टा बनाने एवं तृतीय आवेदन प्रशासन गांवों के

अति. जिला कलेक्टर पाली

संग अभियान 2021 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिस पर न तो किसी दिनांक का अंकन है और न ही उक्त आवेदन के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रस्तुत आवेदनों में भूमि के पडौस में भिन्नता है अर्थात् अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी का पट्टा बनाने हेतु उसके अलग अलग पड़ौस अंकित किये, जो कि प्रथमदृष्टया ही सन्देहास्पद प्रतीत होता है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिक निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है जिसमें केवल अप्रार्थी से सम्बन्धित जानकारी अलग से अंकित की गयी है। आदेशिका दिनांक 29.04.2021, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। इसके पश्चात् पुनः उसी रोज अलग आदेशिका लिखी जाकर प्रस्तावित भूमि का नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और न ही पंचों के द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में कोई राय कायम की गयी है, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड में मिसल के संलग्न एक ही बयान फार्म पर गवाह परबत सिंह पुत्र हरिसिंह तथा छोटुसिंह पुत्र भवरसिंह का नाम अंकित है एव दोनों बयानकर्ता के हस्ताक्षर है जबकि प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि में उसी बयान फार्म पर केवल गवाह परबतसिंह पुत्र हरिसिंह का नाम अंकित है तथा दूसरे गवाह का नाम का स्थान खाली छोडा हुआ है। जिससे यह सुस्पष्ट है कि द्वितीय गवाह का नाम जैर निगरानी पट्टा जारी होने के पश्चात् तथा प्रार्थी को मिसल की प्रमाणित प्रति दिये जाने के बाद विधिविरूद्ध तरीके से अंकित किया गया है जो हस्तगत पट्टे की वैधानिकता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत इटन्दरा मेडतियान द्वारा मिसल संख्या 10/2021–22, संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.11.2021 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 01.12.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली